रेल भर्ती प्रकोष्ठ
उत्तर मध्य रेलवे
सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई)
सूचना सं. जीडीसीई 01/2019

ऑन लाइन पंजीकरण प्रारंभ की तारीख	ऑन लाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख एवं समय
21.10.2019	26.11.2019 को 23:59 बजे तक

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (एनजी) 1-92/पीएम 2/16, दिनांक 20.08.1993 (आरबीई सं. 129/1993), ई (एनजी) 1/2018/पीएम 1/23, दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अनुसार सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारियों को छोड़कर उत्तर मध्य रेलवे के सभी सेवारत नियमित कर्मचारी इन रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अभर्थियों को चाहिए कि वे ऑन लाइन आवेदन करने के पहले इस सूचना के सभी निर्देशों को भली-भॉति पढ़ लें। इस हेतु समुदायवार आरक्षण, चिकित्सा मानक की कोटि तथा रिक्तियों हेतु आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं के विवरण नीचे दिया जा रहा है-

कोटि सं.	पदनाम	ग्रेड पे	पे लेवल	रिक्तियों की सं.					चिकित्सा मानक	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता
				अनारक्षित	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व.	कुल		
1	स्टेशन मास्टर	4200	6	3	1	0	1	5	ए2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्वालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष।
2	गुड्स गार्ड	2800	5	27	8	4	14	53	ए2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्वालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष।
3	सहायक लोको पायलट (बिजली/यांत्रिक)	1900	2	30	7	2	11	50	ए1	क) आर्मेचर एवं क्वायल वाइंडर/ इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रांनिक्स मेकेनिक/ फिटर/ हीट इंजन/ इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक/ मशीनिस्ट/मे केनिक डीजल/ मेकेनिक मोटर वेहिकिल/ मिल राइट मेंटेनेंस मेकेनिक/ मेकेनिक रेडियो एवं टीवी/ रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडशिनिंग मेकेनिक/ट्रैक्टर मेकेनिक/ टर्नर/ वायरमैन के व्यवसाय में एनसीवीटी/ एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक/एसएसएलसी+आईटीआई। अथवा उपर्युक्त किसी व्यवसाय में मैट्रिक/ एसएसएलसी+पाठयक्रम समापन एक्ट अप्रेंटिसशिप। अथवा ख) मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रांनिक्स/ ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग में अथवा आईटीआई के बदले किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से उक्त इजीनियरी विषयों की विभिन्न शाखाओं के समूह विषयों में 3 वर्षीय डिप्लोमा। नोट:-इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग के उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में स्नातक की डिग्री भी मान्य होगी।
4	वरिष्ठ	2800	5	24	10	5	12	51	सी2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्वालय से स्नातक की

	लिपिक सह टंकक								डिग्री अथवा उसके समकक्ष। कंप्यूटर पर टंकण में अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की प्रवीणता का होना अनिवार्य है।
5	वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक	2800	5	33	8	3	15	59	बी2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्वालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष।
6	वाणिज्य सह टिकट लिपिक	2000	3	56	16	12	20	104	बी2	न्यूनतम 50% कुल प्राप्तांक के साथ 12वीं (+2 स्तर) अथवा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति/भूतपर्व सैनिकों तथा 12वीं (+2 स्तर) से उच्चतर शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में 50% अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी।
7	कनिष्ठ लिपिक सह टंकक	1900	2	37	10	4	15	66	सी2	न्यूनतम 50% कुल प्राप्तांक के साथ 12वीं (+2 स्तर) अथवा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति/भूतपर्व सैनिकों तथा 12वीं (+2 स्तर) से उच्चतर शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में 50% अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। कंप्यूटर पर टंकण में अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की प्रवीणता का होना अनिवार्य है।
8	गाड़ी लिपिक (परिचालन)	1900	2	5	2	0	2	9	ए3	न्यूनतम 50% कुल प्राप्तांक के साथ 12वीं (+2 स्तर) अथवा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति/भूतपर्व सैनिकों तथा 12वीं (+2 स्तर) से उच्चतर शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में 50% अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी।
9	कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)	4200	6	4	1	2	3	10	सी2	(i) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अथवा हिंदी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ अथवा परीक्षा के माध्यम के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्वालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष हो। अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्वालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी विषय में हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अथवा हिंदी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो। अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्वालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी विषय में

										स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष और डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय हो अथवा इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय हो। और (i) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्क्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र अथवा राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो।
10	जूनियर इंजीनियर/ यांत्रिक कारखाना	4200	6	2	1	0	2	5	सी1	क) मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रांनिक्स/मैन्युफैक्चरिंग/मेकेट्रॉनिक्स/इंडस्ट्रीयल/मशीनिंग/इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल/ टूल्स एवं मशीनिंग/ टूल्स एवं डाई मेकिंग/ ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्वालय/ संस्थान से मेकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रांनिक्स/मैन्युफैक्चरिंग/ मेकेट्रॉनिक्स/ इंडस्ट्रीयल/ मशीनिंग/ इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल/टूल्स एवं मशीनिंग/ टूल्स एवं डाई मेकिंग/ ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आधारिक शाखाओं की किसी उप शाखा के समूह विषयों में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
11	जूनियर इंजीनियर/ बिजली/ डिजाइन ड्राइंग और इस्टीमेशन	4200	6	2	1	1	0	4	सी1	**क)** मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रांनिक्स इंजीनियरिंग में अथवा **ख)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्वालय /संस्थान से मेकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रांनिक्स की आधारिक शाखाओं के किसी उप शाखा के समूह विषयों में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
12	जूनियर इंजीनियर/ट्रैक मशीन	4200	6	25	7	4	8	44	ए3	क) मेकेनिकल/प्रोडक्शन/ऑटोमोबाइल/इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रांनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग अथवा ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्वालय/ संस्थान सेमेकेनिकल/ प्रोडक्शन/ ऑटोमोबाइल/इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रांनिक्स / इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग की आधारिक शाखाओं के किसी उप शाखा के समूह विषयों में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

13	तकनीशिन-III/ कैरज एवं वैगन (यांत्रिक)	1900	2	2	1	0	4	10	बी2	फिटर/कारपेंटर/वेल्डर/प्लंबर/पाइप फिटर के व्यवसाय में एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक/ एसएसएलसी+आईटीआई। अथवा उपर्युक्त किसी व्यवसाय में मैट्रिक/ एसएसएलसी+पाठयक्रम समापन एक्ट अप्रेंटिसशिप।
14	तकनीशिन-III/ ट्रैक मशीन	1900	2	32	10	5	18	65	बी1	फिटर/इलेक्ट्रिशियन/इलेक्ट्रांनिक्स मेकेनिक/ इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक/मेकेनिक मेकेट्रॉनिक्स/ मेकेनिक डीजल/मेकेनिक मोटर वेहिकिल/ वेल्डर/मशीनिस्ट के व्यवसाय में एनसीवीटी/ एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक/ एसएसएलसी+आईटीआई। अथवा उपर्युक्त किसी व्यवसाय में मैट्रिक/ एसएसएलसी+पाठयक्रम समापन एक्ट अप्रेंटिसशिप।
			कुल	**282**	**83**	**42**	**122**	**529**		

(1) **पात्रता के मानदंड :** न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रत्येक पद के समक्ष दर्शाई गई है।

(2) **आयुसीमा :** ऊपरी आयुसीमा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष, अ.पि.व. अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष और अ.ज./अ.ज.जा. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 47 वर्ष होगी। आयु की गणना 01.01.2020 के आधार पर की जाएगी।

(3) **आवेदन शुल्क :** निल

(4) **सामान्य निर्देश**

क. उत्तर मध्य रेलवे के केवल वे ही **सेवारत नियमित रेल कर्मचारी** उपर्युक्त पदों के लिए पात्र हैं (i) जो उस ग्रेड/पे लेवल से निचले ग्रेड/पे लेवल में कार्यरत हैं, जिसके लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) आयोजित की जाएगी, (ii) जो अभ्यर्थी उसी ग्रेड/पे लेवल में कार्यरत हैं जिनके लिए जीडीसीई आयोजित की जा रही है, उन्हें **गैर संरक्षा पदों से संरक्षा कोटि के पदों तथा संरक्षा कोटि के पदों से संरक्षा कोटि के पदों** के चयन में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। (iii) अभ्यर्थियों को उस पद के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है जिस पर वे वर्तमान में कार्यरत हैं।

ख. जो अभ्यर्थी अंतिम तारीख (26.11.2019) को न्यूनतम अर्हता वाली अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और/या उस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, वे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं है। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड की होनी चाहिए, अन्यथा चयन के किसी भी स्तर पर उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

ग. पात्र कर्मचारी www.rrcald.org पर ही अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद को पत्रवाहक द्वारा भेजे जाने वाले/हार्डकॉपी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर मध्य रेलवे में कही भी पोस्टिंग की जा सकती है।

ङ. चयन के मामले में रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद का निर्णय अंतिम होगा।

च. इस सूचना को www.rrcald.org वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

छ. सूचना में दर्शाई गईं रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं तथा नियुक्ति के समय प्रशासन की वास्तविक आश्यकताओं के आधार पर इन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

ज. रेल प्रशासन को परीक्षा के किसी भी स्तर पर परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन या सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)/लिखित परीक्षा को फिर से आयोजित करने या भर्ती की किसी प्रक्रिया को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निरस्त करने का अधिकार होगा।

झ. यदि रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में भविष्य में कोई दिशा-निर्देश/परीक्षा योजना के विस्तार के निर्देश जारी किए जाते हैं, जीडीसीई की यह परीक्षा प्रणाली तद्नुसार क्रियान्वित की जाएगी और सभी के लिए इसका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

(5) **चिकित्सीय उपयुक्तता :** जीडीसीई का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के उपरांत पैनल पर रखे गए अभ्यर्थियों को रेल प्रशासन द्वारा आयोजित आवश्यक चिकित्सीय उपयुक्तता परीक्षणों में सफल होना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थीगण संबंधित चिकित्सीय वर्गीकरण के अनुसार पदों से जुड़े कार्यों को निस्पादित करने के लिए चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त हों। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त हो क्योंकि अनुपयुक्त पाए जाने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(6) **भर्ती प्रक्रिया :** भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) या लिखित परीक्षा तत्पश्चात अभिक्षमता/गति/कौशल परीक्षा (जहाँ भी लागू हो), दस्तावेजों का सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण शामिल हैं।

(क) परीक्षा का स्तर वही होगा जैसा कि रेल भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सीधी भर्ती की परीक्षा का होता है।

(ख) जहाँ और जैसा भी लागू है, विभिन्न कोटियों के लिए सीबीटी या लिखित परीक्षा एक/दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

(ग) अभ्यर्थियों का चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जाएगा। चुने गए अभ्यर्थियों को ही उनके मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा।

(घ) सीबीटी/लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में निगेटिव अंक देने का प्रावधान किया गया है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंक का 1/3 अंक काट लिया जाएगा।

(ङ) जीडीसीई में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को विभिन्न कोटियों के लिए यथापेक्षित अभिक्षमता/टंकण गति/कौशल परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

(च) जीडीसीई में सम्मिलित होने वाले चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति के पहले उस पद हेतु, जिसके लिए जीडीसीई के अंतर्गत उनका चयन किया जाएगा और जिसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लागू है, निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी उत्तीर्ण करना होगा।

(छ) सीबीटी/लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण की तारीख, समय और स्थान को रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद द्वारा तय किया जाएगा और पात्र अभ्यर्थियों को इसं संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा।

(ज) सीबीटी/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षण को स्थगित करने और केंद्र/स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) **आवेदन कैसे करें** :

i. अभ्यर्थियों को इस सूचना के पैरा 9 में दिए गए निर्देशों और तरीकों को सावधानीपूर्वक पढ़कर तद्नुसार रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद की वेबसाइट www.rrcald.org पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित विवरणों को भरकर अपना ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करना होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फार्म में सभी अपेक्षित विवरण भरना चाहिए। अपूर्ण आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ii. यदि अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित पात्रता है तो, वे ऑनलाइन आवेदन फार्म में संबंधित विकल्पों का चयन कर एक से अधिक कोटि के पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। हलांकि यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि विभिन्न कोटियों के लिए एक ही दिन या एक ही शिफ्ट या इसके बाद के लगातार दिनों में और विभिन्न परीक्षा केंदों पर यह परीक्षा आयोजित की जाती है, तो संभव है कि वे उन सभी कोटियों के पदों हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित न हो सकें। ऐसी परिस्थितियों में इसके लिए रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद उत्तरदायी नहीं होगा।

iii. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फार्म में विभिन्न कोटियों (पद का नाम) का वरीयता के अनुसार उल्लेख करना होगा।

iv. चूंकि कुछ पदों का विकल्प न देने का आशय यह होगा कि अभ्यर्थी उस पद हेतु इच्छुक नहीं है अत: यदि अभ्यर्थी पदों हेतु आंशिक विकल्प का चयन करते है तो उन्हें उनके द्वारा चयनित उन्हीं विशिष्ट पदों के लिए पात्र समझा जाएगा।

v. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक कोटि के लिए सफल पाया जाता है तो उसे उसके योग्यता क्रम और उसके द्वारा किए गए कोटि के चयन के अनुसार पद आवंटित किया जाएगा।

vi. अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म में अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और अपनी ई-मेल आईडी का उल्लेख करना होगा तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन्हें चालू रखना होगा।

vii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तारीख और समय के पर्याप्त पहले ही अपना आवेदन पंजीकृत कर लें ताकि अंतिम तारीख के आस-पास इंटरनेट पर अत्यधिक लोड या वेबसाइट के जाम होने के कारण वेबसाइट पर लॉगऑन करने में आने वाली समस्याओं से बच सकें।

(8) यदि अभ्यर्थी किसी भी कारण से अंतिम तारीख/समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण नहीं कर पाते हैं तो रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(9) **ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया :** एक बार डेटा सेव हो जाने और आवेदन सबमिट कर दिए जाने के बाद किसी भी डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(क) "GDCE **ONLINE/E-Application"** लिंक पर क्लिक करें।

(ख) **"New Registration"** पर क्लिक करें।

(ग) नाम, समुदाय, जन्म तिथि, कर्मचारी आईडी, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि जैसे प्रारंभिक विवरण भरें।

(घ) इसके पश्चात अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर मेसेज के रूप में भेजा जाएगा।

(ङ) अभ्यर्थी को चाहिए कि भविष्य में किसी पत्राचार या पुन: लॉगइन के लिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सहेज कर रखे।

(च) व्यक्तिगत विवरण को भरने के लिए कंप्यूटर पर अभ्यर्थी डैशबोर्ड दिखाई देगा।

(छ) इसमें व्यक्तिगत विवरण भरें, **Save & Continue** करें।

(ज) शैक्षिक अर्हता का विवरण भरें, **Save & Continue** करें।

(झ) अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें, **Save & Continue** करें।

(ञ) विभिन्न कोटियों के लिए अपनी वरीयता क्रम भरें, **Save & Continue** करें।

(ट) **Preview** को **Save & Continue** करें और आवेदन को सबमिट करें। आवेदन सबमिट हो जाने के बाद किसी भी डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(ठ) अनुलग्नक-1 का प्रिंटआउट निकाले और जहाँ अपेक्षित है, इस पर नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी का हस्ताक्षर कराकर इसे अपलोड करें।

(ड) भविष्य में किसी भी पत्राचार के लिए आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें।

<u>नोट</u>:

1. रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद को डाक द्वारा आवेदन की हार्ड कापी न भेजी जाए।
2. स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया का उपर्युक्त पैरा 9 में उल्ेख किया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कठिनाई या तकनीकी समस्या होने पर अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हलांकि यह भी नोट कर लिय जाए कि यदि अभ्यर्थी प्रक्रिया न समझ पाने के कारण या वेबसाइट की तकनीकी समस्या के कारण आवेदन नहीं कर पाता है तो इसके लिए रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद जिम्मेदार नहीं होगा।

हेल्प लाइन संपर्क:- यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण में कोई कठिनाई हो तो वह सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) को 9:00 बजे से 18:00 बजे तक हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है।

(10) **केवल एक ही आवेदन फार्म भरा जाए :** पात्र कर्मचारी को इस सूचना के अंतर्गत केवल एक ही आवेदन फार्म सबमिट करना चाहिए। एक से अधिक आवेदन सबमिट करने वाले कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यदि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो भी जाता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उन्हें जीडीसीई की इस सूचना संख्या के तहत नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा।

(11) **अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज :** कर्मचारियों को जेपीजी (JPG) फार्मेट में निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा-(15 से 40 केवी साइज का फोटो, 10 से 20 केवी साइज वाले हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप तथा 30 से 50 केवी साइज वाला कर्मचारी प्रमाण-पत्र) (अनुलग्नक-1)।

(क) **फोटो:-** एक ऐसा रंगीन फोटो अपलोड किया जाएगा जो तीन महीने से अधिक पुराना न हो, जिसमें अभ्यर्थी के सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो और फोटो में अभ्यर्थी टोपी या धूप का चश्मा न पहने हो। अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि पुराना/अस्पष्ट फोटो अपलोड करने पर या अपलोड किए गए फोटो और अभ्यर्थी में किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण अंतर पाए जाने पर रेल भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी चरण में उसका आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। **ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र पर लगे फोटो और परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले फोटो एक समान होने चाहिए।** अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे अभिक्षमता/कौशल/गति परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन आदि के लिए उसी फोटो की अतिरिक्त प्रतियां अपने सुरक्षित रख लें। बिना फोटो वाले आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) हस्ताक्षर:- अपना स्वाभाविक हस्ताक्षर अपलोड करें। बिना हस्ताक्षर वाले आवेदनों, अंग्रेजी के बड़े (कैपिटल) अक्षरों/अक्षरों के बीच अंतराल के हस्ताक्षर वाले आवदेनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) बाएं हाथ के अंगूठे का निशान:- बाएं हाथ के अंगूठे का स्पष्ट निशान अपलोड किया जाए। बिना अंगूठे के स्पष्ट निशान वाले आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर):- जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते है उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय अनुलग्नक-2 में दिए गए सैंपिल के अनुसार समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार जो अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते है उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय (अनुलग्नक-3 में दिए गए सैंपिल के अनुसार समुचित प्राधिकारी द्वारा केंद्र सरकार के प्रारूप में जारी) ऑनलाइन आवेदन वाले वित्त वर्ष और परीक्षा वाले वित्त वर्ष के अ.पि.व. का जाति प्रमाण पत्र एवं नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) कमर्चारी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-1):- ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप को अपलोड किया जाए। अनुलग्नक-1 के प्रारूप को आवेदक द्वारा भरा जाएगा और उस पर कर्मचारी को अपना हस्ताक्षर कर अंगूठे का निशान लगाना होगा (ये हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आवेदन में अपलोड किए गए हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान के समान होने चाहिए) और इसे आवेदक के तात्कालिक पर्यवेक्षक द्वारा मोबाइल नंबर के साथ अपने हस्ताक्षर और मुहर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। **जीडीसीई के सभी चरणों के दौरान कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र ही उसकी मान्य आईडी होगी।**

(12) **दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण :** सीबीटी/लिखित परीक्षा, अभिक्षमता/कौशल परीक्षण के परिणाम घोषित किए जाने के बाद लिखित परीक्षा योग्यता क्रम के आधार पर शार्टलिस्ट में शामिल किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शार्टलिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं के मूल प्रमाण, जाति, जन्म तिथि, कर्मचारी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-1), कार्यभार मुक्ति पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(13) **अमान्य आवेदन :** जिन आवेदनों में (एक या एक से अधिक) निम्नलिखित कमियां पाई जाएंगी, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

1. ऐसे आवेदन जिन्हें **दस्ती तौर पर भेजा गया है** और जिनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया गया है।
2. ऐसे आवेदन जो किसी भी रूप में अपूर्ण हैं।
3. ऐसे आवेदन जिन्हें अंग्रेजी/हिंदी के अलावा अन्य भाषा में भरा गया है।
4. आवेदन सबमिट करते समय अभ्यर्थी के पास निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी अर्हताएं नहीं हैं।
5. यदि इस सूचना के पैरा 1 में उल्लिखित पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी अर्हता और पैरा 2 में उल्लिखित आयु के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
6. अभ्यर्थी की आयु निर्धारित आयु से अधिक हो या जन्म तिथि न भरी गई हो या गलत भरी गई हो।

7. यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पंजीकृत किया जाता है, तो सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. फोटो अपलोड न किया गया हो, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो, फोटो में अभ्यर्थी टोपी या धूप का चश्मा पहने हुए हो, फोटो कटा-फिटा, छोटे साइज वाला हो, फोटो आदम कद वाला हो, पार्श्व फोटो हो, चेहरे का पार्श्व फोटो हो या ऐसा फोटो हो जिससे अभ्यर्थी की पहचान न की जा सकती हो।

9. हस्ताक्षर अपलोड न किया गया हो या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों वाला हस्ताक्षर अपलोड किया गया हो।

10. बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड न किया गया हो या अपलोड किया गया यह निशान धुंधला/धब्बेधार हो।

11. ऐसी अन्य अनियमिताएं जिन्हें रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा अपने विचार में लिया जाए।

12. कर्मचारी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-1) संलग्न न किया गया हो या अपूर्ण रूप में अपलोड किया गया हो या पर्यवेक्षक/अधिकारी से सत्यपन कराए बिना अपलोड किया गया हो।

13. यदि दस्तावेज सत्यापन के समय, ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण गलत पाए जाते हैं या प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों से मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

नोट:- यह सूची संपूर्ण न होकर केवल संकेतात्मक है। वस्तुत: किसी भी चरण के दौरान रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा कोई अन्य अनियमितता/कमी पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(14) कदाचरण :

(क) कर्मचारियों को आगाह किया जाता है कि आवेदन सबमिट करते समय ऐसा कोई विवरण न दें जो असत्य हो या जिनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई हो।

(ख) कर्मचारी द्वारा चयन प्रक्रिया के मामले में अपने हित को साधने के लिए कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रभाव का इस्तेमाल किया जाएगा और न ही इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाएगा।

(ग) कर्मचारी की ओर से भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार का कदाचरण नहीं किया जाएगा और यदि उसके द्वारा ऐसा कदाचरण किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध अनुशासनिक/आपराधिक मामले की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(घ) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता/कदाचरण में संलिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध अनुशासनिक/आपराधिक मामले की कार्रवाई भी की जाएगी।

(ङ) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत घोषणा की जाती है/गलत विवरण दिया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त की जा सकती है।

(च) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है या परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भेजता है/भेजती है तो भविष्य में उसे रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ की सभी परीक्षाओं से आजीवन विवर्जित (डिबार) कर दिया जाएगा। उनके विरुद्ध रेलवे अनुशासन अपील नियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

(15) महत्वपूर्ण निर्देश :

(क) अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पहले सभी निर्देशों को भली-भांति पढ़ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन करने के समय इस सूचना में उल्लिखित पात्रता के सभी निर्धारित मानदंडों और शर्तों को पूरा करते हो।

(ख) रेल भर्ती प्रकोष्ठ को विभिन्न तारीखों और स्थानों पर बैच में, जैसा भी उसके द्वारा निर्णय लिया जाए, परीक्षा आयोजित करने का अधिकार होगा।

(ग) पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची रेल भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। पात्र अभ्यर्थीगण रेल भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट से यथासमय अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचनाओं के लिए रेल भर्ती प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.rrcald.org और RRC Application को निरंतर देखते रहें।

नोट:- रेल भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा किसी कारण से आवेदन निरस्त किए जाने के की स्थिति में, अभ्यर्थी रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद की वेबसाइट www.rrcald.org पर अपना स्टेटस देख सकता है और आवेदन निरस्त किए जाने का कारण जान सकता है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी सूचना उन्हें मेसेज और ई-मेल अलर्ट द्वारा उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन/उम्मीदवारी को निरस्त किया जाएगा, उन्हें डाक द्वारा इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। कोई सूचना या पत्र प्राप्त न होने पर रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) जीडीसीई की यह परीक्षा योजना रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी और सभी के लिए बाध्यकर होगी।

(ङ) जीडीसीई की जो रिक्तियां भरी नहीं जा सकेंगी, उन्हें रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एनजी)1/2018/पीएम 1/23, दिनांक 01/08/2018 और ई/(एनजी)1 2010/पीएम 1/16 दिनांक 10/09/2014 के अनुसार इन रिक्तियों को अगले वर्ष/नए चयन के लिए सीधी भर्ती कोटा में शामिल किया जाएगा।

(च) जीडीसीई के जोन ऑफ कंसीडरेशन (जिस सीमा तक अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है) में यथास्थिति मंडल/कारखाना/मुख्यालय/मंडलेतर कार्यालय/उत्पादन इकाई के सभी विभागों/शाखाओं के कर्मचारी शामिल किए जाएंगे बशर्ते उन्हें जीडीसीई हेतु जारी इस सूचना के संबंध में उचित माध्यम से आवेदन करना होगा।

(छ) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एनजी)1/2018/पीएम 1/23, दिनांक 02/05/2019 (आरबीई सं. 72/2019) के अनुसार बेंचमार्क नि:शक्तता वाले तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण का कोई अलग प्रावधान नहीं है।

(ज) **स्क्राइब (लेखक) की सहायता :** दृष्टि बाधित अभ्यर्थी/सेरीब्रल पाल्सी (प्रमस्तकीय पक्षाघात)/मस्क्युलर डिस्ट्राफी (मांसपेशीय विकार) से प्रभावित लेखन गति वाले अभ्यर्थी/लोकोमोटर अशक्तता (एक हाथ) वाले अभ्यर्थी उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

<u>स्क्राइब की सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी-</u>

i. अभ्यर्थियों को स्क्राइब की प्रबंध स्वयं करना होगा।

ii. अभ्यर्थी के स्क्राइब को इस सूचना सं. के अंतर्गत आयोजित उस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं सम्मिलित हो रहा है। साथ ही एक ही स्क्राइब एक साथ, एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब का कार्य नहीं कर सकता है। इस संबंध में स्क्राइब और अभ्यर्थी को उक्त आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में यदि किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के उलंघन की जानकारी मिलती है तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

iii. अभ्यर्थियों को सीबीटी परीक्षा के समय अनुलग्नक-4 के अनुसार स्क्राइब का विवरण देना होगा और इस विवरण पर अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। स्क्राइब को सीबीटी परीक्षा केंद्र पर अपना मूल वैध आईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक-4 पर अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना होगा।

iv. यदि अभ्यर्थी के साथ आए स्क्राइब द्वारा परीक्षा के दौरान कोई कदाचरण किया जाता है तो इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा।

v. स्क्राइब की सहायता लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

vi. एक आँख वाले अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दृष्टि की डिग्री संबंधी अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि बाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके मामले में स्क्राइब की सहायता वाला प्रावधान लागू नहीं होगा।

vii. चयनित पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थियों का नियुक्ति के समय रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और वे ही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो यथास्थिति भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल एवं अन्य वर्तमान प्रावधानों में यथानिर्धारित चिकित्सीय मानदंडों को पूरा करेंगे।

(झ) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत घोषणा की जाती है/गलत विवरण दिया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त की जा सकती है।

(ञ) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है या परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भेजता है/भेजती है तो भविष्य में उसे रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ की सभी परीक्षाओं से आजीवन विवर्जित (डिबार) कर दिया जाएगा। उनके विरुद्ध रेलवे अनुशासन अपील नियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

(ट) यदि आवेदन में कोई अनियमितता/कमी वाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदारी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ठ) पात्रता, आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, नि:शुल्क रेल पास जारी करने, झूठी सूचना के लिए दंड लगाने, चयन के तरीके, लिखित परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आवंटन, चयन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में रेल भर्ती प्रकोष्ठ किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार को स्वीकार नहीं करेगा।

(ड) असावधानीवश होने वाली किसी त्रुटि के लिए रेल भर्ती प्रकोष्ठ जिम्मेदार नहीं होगा।

(ढ) किसी प्रकार के कानूनी विवाद के मामले में न्यायिक क्षेत्राधिकार, केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारण, इलाहाबाद का होगा।

(ण) उपर्युक्त निर्देशों के निर्वचन में किसी विवाद या किसी भ्रम की स्थिति में इनका अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(16) प्रयोग की गईं संक्षिप्तयां :

सीबीटी- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट   अ.जा.-अनुसूचित जाति   अ.ज.जा.- अनुसूचित जन जाति

अ.पि.व.-अन्य पिछड़ा वर्ग   अना.- अनारक्षित

इस सूचना और अनुलग्नक की प्रतिलिपि रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट www.rrcald.org पर भी दी गई है। अभ्यर्थीगण भविष्य में दी जाने वाली सभी सूचनाओं/अपडेट के लिए इस वेबसाइट को देंखे।

अध्यक्ष

रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

<u>अनुलग्नक-1</u>

पंजीकरण सं.................

उत्तर मध्य रेलवे में आयोजित की जाने वाली सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) सूचना सं. जीडीसीई 01/2019 के तहत रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारी, विधि सहायक, कैटरिंग पर्यवेक्षक और लेखा विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों हेतु कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र का प्रारूप।

मैं................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....जन्म तिथि(दिन/महीना/वर्ष)...............समुदाय.............नियुक्ति की तिथि..........पे लेवल(बगैर एमएसीपी)...........अधीन कार्यरत..................कोटि सं. ....के लिए आवेदन।

सेवा पंजिका के अनुसार शैक्षिक योग्यता :

शैक्षिक अर्हता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	अंक/प्रतिशत
सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट/ 10वीं/ मैट्रिक				
हायर सेकेंडरी/ 12वीं/ इंटरमीडिएट				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				
(बी) तकनीकी योग्यता				

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाती है या मेरी उम्मीदवारी, पात्रता के मानदंड के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी को बिना किसी सूचना के किसी भी स्तर पर निरस्त/समाप्त किया जा सकता है और मेरे विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है। उपर्युक्त विवरण को नीचे अपनी हैंड राइटिंग में लिखे।

....

....

....

....

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

स्व प्रमाणित QkVkxkQ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम..

पदनाम.....................................

कर्मचारी आईडी नंबर.....................

(पे स्लिप के अनुसार)

पोस्टिंग का स्थान........................

मंडल/इकाई..................................

दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कमर्चारी एक नियमित कर्मचारी है और उत्तर मध्य रेलवे में मेरे अधीन कार्यरत है। उपर्युक्त सभी विवरण सही है और अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किए गए हैं।

दिनांक..................

कार्यालय सील

आसन्न अधिकारी/पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अधिकारी/पर्यवेक्षक का नाम ....

सील सहित पदनाम ....

मोबाइल नंबर ....

दिनांक ....

<u>कार्यालय प्रयोग के लिए</u> ____________________

<u>सत्यापित</u>

अनुलग्नक-2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियो के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियो द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.........................पुत्र/पुत्री श्री.....................निवासी ग्राम/ नगर............................. जिला/ मंडल..................राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश.................जाति/ जन जाति ....से संबंध रखता है, जो कि निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :

1. संविधान (अनुसूचित जाति आदेश) 1950
2. संविधान (अनुसूचित जन जाति आदेश) 1950
3. संविधान (अनुसूचित जाति आदेश) (केंद्र शासित प्रदेश) 1951
4. संविधान (अनुसूचित जन जाति आदेश) (केंद्र शासित प्रदेश) 1951 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की सूचियों में संशोधन के अनुसार), आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976.
5. संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956.
6. संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश 1956.
7. संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश 1959, अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधितानुसार।
8. संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
9. संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962
10. संविधान (पौंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
11. संविधान अनुसूचित जन जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
12. संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
13. संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968
14. संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970
15. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
16. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978
17. संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1989
18. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
19. संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
20. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
21. संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

2. श्री/श्रीमती/कुमारी और उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...............के.........जिला/मंडल........... गाँव/शहर..............में समान्यत: निवास करता है।

स्थान................ हस्ताक्षर.........................

दिनांक......................... पदनाम...........................

(कार्यालय की मुहर सहित)

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं है। (*)

कृपया विनिर्दिष्ट अध्क्षीय आदेश उद्धृत करें। (*) उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं है।

नोट : यहॉ प्रयोग किए गए पद **"सामान्यत: निवास"** का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में उल्लिखित अनुसार है।

प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची :

1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो)
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्ष्यद्वीप)।

अनुलग्नक-3

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र का प्रारूप

(भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..सुपुत्र/सुपुत्री श्री..................गाँव/नगर.....................जिला/मंडल.........................राज्य/केंद्र शासित प्रदेश..............जाति.......................से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या................दिनांक ....के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..................और/अथवा उसका परिवार......................राज्य/संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र के ....जिला/मंडल...............में सामन्यत: निवास करता है/करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमीलेयर), के अंतर्गत नहीं आता है/आती है।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त आदि
(कार्यालय मुहर सहित)

मुहर

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

* समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट:- यहाँ इस्तेमाल किए गए पद ''सामान्यत:'' का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची :

1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो)
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्ष्यद्वीप)।

अनुलग्नक-4

स्क्राइब की सहायता लेने के लिए घोषणा

नोट:-दृष्टिबाधित उम्मीदवार/उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मांसपेशीय दुर्विकास/लोको मोटर दिव्यांगता(एक हाथ) वाले उम्मीदवार/बौद्धिक अक्षमता(ऑटिज्म/स्वलीनता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) से प्रभावित अभ्यर्थी स्क्राइब की सहायता लेने के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. अभ्यर्थी का नाम..
2. रोल नंबर..
3. सीबीटी केंद्र का नाम...
4. अभ्यर्थी की योग्यता...
5. दिव्यांगता का प्रकार...
6. स्क्राइब का नाम..
7. स्क्राइब की जन्म तिथि..
8. स्क्राइब के पिता का नाम.....................................
9. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता...
10. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो.................................
11. स्क्राइब का पता:

    (क) स्थायी पता..

    (ख) वर्तमान पता..
12. घोषणा

i. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्यौरा सत्य है और हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के दिशा-निर्देशों को पढ़ लिया है और एतद्द द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।

ii. हमलोग यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता सही लिखी गई है और स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से एक स्तर नीचे है। यदि, आगे यह पता चलता है कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता घोषणा के अनुसार नहीं है तो मैं (उम्मीदवार) पद के लिए दावे के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा।

iii. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते है कि यदि यह पता चलता है कि वह इस परीक्षा का उम्मीदवार है, तो हम दोनों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

iv. हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए स्क्राइब का काम नहीं किया है/ किसी अन्य उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा में स्क्राइब का काम नहीं करेगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर) (स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बाक्स में अभ्यर्थी उपर्युक्त बाक्स में

स्क्राइब के

के बाएं अंगूठे की छाप बाएं के अंगूठे की छाप

निरीक्षक का हस्ताक्षर